-5

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

आदेश संख्या : 463 /2021, दिनांक : अप्रैल 16 , 2021

प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 4959/Admin. (E-1)XC-27, दिनांकित 13.04.2021 के द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या 256/तीन-2021-39 (1)/2002, दिनांकित 06.04.2021 सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्रदेश में जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत के सदस्यगण व ग्राम प्रधान के चुनाव-2021 हेतु विभिन्न चरणों एवं विभिन्न तिथियों में मतदान हेतु नियत जनपदों में नियत तिथि/दिन को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1981 (Negotiable Instrument Act, 1981) के अधीन सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र में उल्लिखित चुनाव सूची के अनुसार मतदान हेतु नियत चतुर्थ चरण की तिथि 29.04.2021 को जनपद फर्रुखाबाद में जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत के सदस्यगण व ग्राम प्रधान के चुनाव-2021 हेतु नियत किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में **दिनांक 29.04.2021 को सामान्य अवकाश** घोषित किया जाता है।

तद्नुसार सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

16/04/21

(पवन प्रकाश)
जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, फर्रुखाबाद।
2. पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, फर्रुखाबाद।
3. समस्त पीठासीन/प्रभारी अधिकारीगण, जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद।
4. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद।
6. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद।
8. अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद।
9. अधीक्षक, बाल सम्प्रेक्षण गृह, जखा, फतेहगढ़।
10. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसियेशन, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद।
11. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद।
12. अध्यक्ष/सचिव, कायमगंज बार एसोसियेशन, कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद।
13. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद।
14. जिला सूचना अधिकारी, फर्रुखाबाद को जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

Office to comply
N/o Computers
Nodal officer computers
16/04/2021

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद।